

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(फरवरी-मार्च, 2018 सत्र)

(26 फरवरी, 2018 से 28 मार्च, 2018 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के बर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

| विभाग का नाम (1) | प्रभारी मंत्री (2) | उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक (3) | प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक (4) |
|---------------------|-----------------------|---|---|
|---------------------|-----------------------|---|---|

बर्ग-1

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| स्कूल शिक्षा | स्कूल शिक्षा मंत्री | | |
| किसान कल्याण तथा कृषि विकास | किसान कल्याण मंत्री | | |
| लोक निर्माण | लोक निर्माण मंत्री | | |
| विधि और विधायी कार्य | — " — | 27 फरवरी, 2018 | 19 फरवरी, 2018 |
| सहकारिता | राज्यमंत्री, सहकारिता | 12 मार्च, 2018 | 05 मार्च, 2018 |
| भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास | — " — | 20 मार्च, 2018 | 12 मार्च, 2018 |
| उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण | राज्यमंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण | 27 मार्च, 2018 | 21 मार्च, 2018 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| बग-2 | | | |
| सामान्य प्रशासन | मुख्यमंत्री | | |
| विभानन | — ”— | | |
| आनन्द | — ”— | | |
| जनजातीय कार्य | — ”— | | |
| अनुसूचित जाति कल्याण | — ”— | | |
| वित्त | वित्त मंत्री | 28 फरवरी, 2018 | 20 फरवरी, 2018 |
| वाणिज्यिक कर | — ”— | 13 मार्च, 2018 | 07 मार्च, 2018 |
| महिला एवं बाल विकास | महिला एवं बाल विकास मंत्री | 21 मार्च, 2018 | 13 मार्च, 2018 |
| ऊर्जा | ऊर्जा मंत्री | 28 मार्च, 2018 | 22 मार्च, 2018 |
| नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा | — ”— | | |
| नर्मदा धाटी विकास | राज्यमंत्री, नर्मदा धाटी विकास | | |
| बग-3 | | | |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री | | |
| जैल | — ”— | | |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | खाद्य मंत्री | | |
| श्रम | — ”— | | |
| राजस्व | राजस्व मंत्री | | |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | — ”— | 07 मार्च, 2018 | 26 फरवरी, 2018 |
| पशुपालन | पशुपालन मंत्री | 14 मार्च, 2018 | 07 मार्च, 2018 |
| मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास | — ”— | 22 मार्च, 2018 | 14 मार्च, 2018 |
| कुटीर एवं ग्रामोद्योग | — ”— | | |
| पर्यावरण | — ”— | | |
| गृह | गृह मंत्री | | |
| परिवहन | — ”— | | |
| *तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार | राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा | | |

(1)

(2)

(3)

(4)

वर्ग-4

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| पंचायत और ग्रामीण विकास | पंचायत मंत्री | | |
| सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण | — "— | | |
| वन | वन मंत्री | | |
| योजना, आर्थिक और सांख्यिकी | — "— | | |
| खेल एवं युवा कल्याण | खेल एवं युवा कल्याण मंत्री | | |
| धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व | — "— | | |
| खनिज साधन | खनिज साधन मंत्री | | |
| *उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन | — "— | | |
| प्रवासी भारतीय | — "— | | |
| नगरीय विकास एवं आवास | नगरीय विकास एवं आवास मंत्री | | |
| उच्च शिक्षा | उच्च शिक्षा मंत्री | | |
| लोक सेवा प्रबंधन | — "— | | |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | | |

वर्ग-5

| | | | |
|---|--|--|--|
| जल संसाधन | जल संसाधन मंत्री | | |
| संसदीय कार्य | — "— | | |
| जनसंपर्क | — "— | | |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री | | |
| आयुष | — "— | | |
| चिकित्सा शिक्षा | राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा | | |
| संस्कृति | राज्यमंत्री, संस्कृति | | |
| पर्यटन | — "— | | |
| पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण | राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग | | |
| विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण | — "— | | |

- नोट.—** 1. विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी।
2. प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त प्रारूप में ही भेजें।
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है। नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें।
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : “मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ” के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा।
5. प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा यदि संलग्न परिशिष्ट की अधिकतम पृष्ठ संख्या 3 है तो उसे भी ऑनलाइन स्वच्छ/पठनीय प्रति ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या तीन पृष्ठ से अधिक हो तो उसकी पांच प्रतियां सक्षम अधिकारी से अभिप्राणित कराकर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही ऑफलाईन (हार्ड कापी) भेजी जायें।
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए। उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचार योग्य नहीं होंगे।
7. *मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 01, दिनांक 01 जनवरी, 2018 के द्वारा “वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार” का नाम परिवर्तित कर “उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन” तथा “तकनीकी शिक्षा एवं कौशल” के स्थान पर “तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार” किया गया।

प्र-1 अ 1592/2018

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि :—

- (1) मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) समस्त प्रमुख सचिव तथा
- (5) शासन के समस्त विभागों

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।